

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 04 / 2024

उनवान

1. जमनी देवी पुर्विया पत्नी नारायण लाल पुर्विया गाडरी नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
  2. जमनी पुर्विया पत्नी देवी लाल पुर्विया गाडरी नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
- प्रार्थी

बनाम

1. गिरवर पिता मिश्री रेवारी नि० कल्याणपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. नाथू पिता मिश्री रेवारी नि० कल्याणपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. भंवर पिता बिज्या रेवारी नि० कल्याणपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. गीता पत्नी बिज्या रेवारी नि० कल्याणपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. कालू पिता कजोड गुर्जर नि० गुवारडी तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. देवीलाल पिता भैरू लाल गाडरी नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. नाराण पिता सुरजमल गाडरी नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. कल्याणमल पिता भैरू खाती नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. कैलाश पिता भैरू खाती नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. भंवर पिता भैरू नि० झोपडिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 05.01.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कल्याणपुरा प.ह. स्वरूपगंज भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 278 की आ.न. 493 रकबा 0.4552 है०, आ.न. 514 रकबा 0.5817 है०, आ.न. 516 रकबा 0.1644 है०, आ. न. 681/515 रकबा 0.1644 है०, कुल किता 04 कुल रकबा 1.3657 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कल्याणपुरा प.ह. स्वरूपगंज भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 278 की आ.न. 493 रकबा 0.4552 है०, आ.न. 514 रकबा 0.5817 है०, आ.न. 516 रकबा 0.1644 है०, आ. न. 681/515 रकबा 0.1644 है०, कुल किता 04 कुल रकबा 1.3657 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कृषि भूमि फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ(राज.)

